

एम.एम. से पहले कुमार और जोरा सिंह, जे.जे.

एपीजे एजुकेशन सोसायटी और अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 10749

4 नवंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अधिनियम. 226-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977-एस.

17(3) - 'स्कूल' चलाने के लिए लीज होल्ड आधार पर भूखंड का आवंटन - क्या स्कूल भवन में

प्राथमिक/नर्सरी कक्षा चलाना प्लॉट का दुरुपयोग माना जाएगा - धारित, गैर-आवंटन पत्र के साथ-साथ पट्टे

के नियम और शर्तें विलेख में किसी भी वर्गीकरण पर विचार नहीं किया गया है - 'स्कूल' शब्द में स्वाभाविक

रूप से प्री-नर्सरी/नर्सरी/के.जी./मिडिल/सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी जैसे सभी स्तरों पर कक्षाएं शामिल होंगी

- लीज डीड के किसी भी खंड का कोई उल्लंघन नहीं - याचिका की अनुमति, संपत्ति द्वारा आदेश पारित

अधिकारी को रद्द कर दिया गया.

निर्धारित किया गया है। कि 3 दिसंबर, 1973 के आवंटन पत्र की शुरुआती पंक्ति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं को स्कूल भवन के निर्माण के लिए सेक्टर 15, फरीदाबाद में 8.68 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर आवंटित करने का फैसला किया था। आवंटन पत्र के साथ-साथ लीज डीड के नियम और शर्तें कहीं भी वर्गीकरण नहीं करती हैं, जिसे दुरुपयोगकर्ता के आरोपों के समर्थन में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लागू करने की मांग की गई है। 'स्कूल' शब्द में स्वाभाविक रूप से प्री-नर्सरी/नर्सरी/के.जी./मिडिल/सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी जैसे सभी स्तरों की कक्षाएं शामिल होंगी।

(पैरा 13 एवं 14)

इसके अलावा, यह माना गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के कलम 17 (3) के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल तभी लागू होती है जब बिक्री की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है। ऐसे मामलों में, संपदा अधिकारी शो नोटिस।(show cause notice)जारी करने का हकदार होगा

आवंटी को साइट को फिर से कार्य शुरू करने के लिए .

एपीजे एजुकेशन सोसायटी और अन्य बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.)

हालाँकि, वर्तमान मामले में, लीज डीड के किसी भी खंड का कोई उल्लंघन उजागर नहीं किया गया है। काल्पनिक वर्गीकरण के आधार पर, जो 1973 में दृष्टि में भी नहीं था, किसी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। 5 जुलाई 2007 का आदेश पूर्णतः अवैध एवं अनुचित है।

(पैरा 16)

एच.एल. टिक्कू, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमीत गोयल, अधिवक्ता और सुश्री यशमीत, अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा, याचिकाकर्ताओं के वकील के साथ।

अजय नारा, प्रतिवादियों के वकील।

एम.एम. कुमार, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर पांच याचिकाओं (जिनका विवरण फुटनोट* में दिया गया है) के इस समूह में कानून और तथ्य का सामान्य प्रश्न उठाया गया है, अर्थात्: -

"क्या स्कूल भवन में प्राथमिक/नर्सरी कक्षा चलाना याचिकाकर्ता को बिना किसी रोक के 'स्कूल' या शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए आवंटित भूखंड का दुरुपयोग होगा?"

(2) तथ्यों को 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10749 से संदर्भित किया जा रहा है।

(3) याचिकाकर्ताओं ने संपदा अधिकारी (इस्टेट ओफिसर), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई, 2007 (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संपदा अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता 2 प्राथमिक/नर्सरी कक्षाएं चला रहा है, जो की आवंटित स्थल का दुरुपयोग करने का आरोप है। इसलिए, 15 दिनों की अवधि के भीतर दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था और ऐसा न करने पर संबंधित साइट को फिर से शुरू किया जाना था। याचिकाकर्ता ने एक और प्रार्थना की गई है। कि आवंटन पत्र और लीज डेड (अनुलग्नक पी-2 और पी-3) के अनुसार स्कूल चलाने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादीओं को निर्देश जारी करने के लिए कहा।

(4) मामले के संक्षिप्त तथ्य जिसके कारण तत्काल याचिका दायर की गई है, वह यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 एपीजे एजुकेशन सोसाइटी एक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या XXI) के तहत पंजीकृत सोसायटी और यह एपीजे स्कूल, फरीदाबाद चला रही है, जो वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 2 है। सोसायटी का उद्देश्य दूसरों के बीच सामाजिक सेवा और उत्थान करना है। सोसायटी की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को उनके लिंग, जाति, पंथ की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करना और भारत के पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को शुरू करना, स्थापित करना, प्रबंधित करना, बनाए रखना और/या उनका प्रबंधन करना है।

(5) उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसरण में, सोसायटी ने 1973 में एक स्कूल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रशासक, अर्बन एस्टेट, हरियाणा को आवेदन किया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अर्बन एस्टेट, हरियाणा के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम') के अधिनियमन को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षिप्तता के लिए, 'हुडा') के रूप में जाना जाता है। आवेदन के आधार पर, सोसायटी को 3 दिसंबर, 1973 को सूचित किया गया कि हरियाणा सरकार ने सेक्टर 15, फरीदाबाद में लगभग 8.68 एकड़ भूमि को 99 साल की लीज (अनुलग्नक पी-2) पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। लीज डीड 8 अप्रैल, 1974 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निष्पादित की गई और पंजीकृत की गई 26 मार्च, 1977 को 'एक स्कूल' चलाने के उद्देश्य से सोसायटी के पक्ष में दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि लीज डीड में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि पट्टेदार-सोसाइटी 3 दिसंबर, 1973 से 99 वर्ष की अवधि के लिए भूखंड रखने की हकदार होगी। लीज डीड के खंड 2 में प्रावधान है कि प्रशासक, शहरी संपदा, फरीदाबाद से कानून के अनुसार भवन योजना को मंजूरी मिलने के बाद पट्टेदार-समाज 'स्कूल' चलाने के उद्देश्य से भूखंड पर निर्माण करने का हकदार होगा। 8 अप्रैल, 1974 की लीज डीड जो कि 26 मार्च, 1977 को पंजीकृत हुई, को रिकॉर्ड में रखा गया है (अनुलग्नक पी-3)। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों सक्षम से अनुमति और अनुमोदन मांगने के बाद भवन का निर्माण शुरू किया। स्कूल-याचिकाकर्ता नंबर 2 ने 1975 से नर्सरी/प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा यानी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की कक्षाएं चला रहा है। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य ने जब याचिकाकर्ता-समाज को भूमि आवंटित की गई और 'स्कूल' चलाने के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तक नर्सरी/प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के संबंध में कोई वैधानिक वर्गीकरण नहीं था।

पहली बार वर्गीकरण हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम (Haryana school education Rules), 2003 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') द्वारा किया गया था, जिसे 30 अप्रैल, 2003 को लागू किया गया था। उपरोक्त वर्गीकरण स्कूलों के संबंध में इसमें अध्याय- 2 नियम 4 इन नियमों में है ।

(6) 22 जनवरी, 2007 को, याचिकाकर्ता स्कूल को अधिनियम की धारा 17(3) के तहत एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता स्कूल ने आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। क्योंकि, इसने नर्सरी स्कूल चलाकर संपत्ति का दुरुपयोग किया है जो कि अनुमति योग्य और अवैध है (अनुलग्नक पी-4)। 20 फरवरी, 2007 को याचिकाकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भेजकर अनुरोध किया कि आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई दुरुपयोगकर्ता है (अनुलग्नक पी-5)। दिनांक 23 मार्च, 2007 के संचार के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उपर्युक्त उत्तर को

असंतोषजनक पाया गया। याचिकाकर्ता- सोसाइटी को 26 मार्च, 2007 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था (अनुलग्नक पी-6)। तथापि, 16 अप्रैल, 2007 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया गया और याचिकाकर्ता ने लिखित रूप में विस्तृत तर्क भी प्रस्तुत किए (अनुलग्नक पी-7)।

(7) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें और अन्य स्कूलों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का आधार दिशा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर एक शिकायत जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 7 नवंबर, 2005 को निर्णय दिया गया है। (अनुलग्नक पी-9)। याचिकाकर्ताओं द्वारा खुलासा किए गए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का अन्य आधार सी.डब्ल्यू.पी. 2007 का क्रमांक 4434 (व्यापक बाल विकास एवं कल्याण सोसायटी एवं अन्य बनाम प्रशासक, हुडा) के माध्यम से इस न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर उत्तरदाताओं की कथित निर्भरता है। दावा किया गया है कि इस अदालत ने उत्तरदाताओं को प्रत्येक मामले /व्यक्तिगत मामले की जांच करे और बोलने का आदेश (speaking order) पारित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने लीज डीड के नियमों और शर्तों पर आधारित हो कर, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को स्कूल के संचालन बिना कोई प्रतिबंध के स्कूल से प्री-नर्सरी/नर्सरी/प्राइमरी/मिडिल/सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक सीमित किए बिना 'एक स्कूल' स्थापित करने की आवश्यकता थी। .

(8) सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 12305, 11372, 18315 और 13030 ऑफ 2007 में कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है। । उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अजय नारा ने कहा है कि सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 10749 में दायर लिखित बयान को अन्य मामलों में भी लिखित बयान के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(9) सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 10749 में उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में हालांकि एक मध्यस्थता खंड की वकालत की गई है, लेकिन सुनवाई में श्री अजय नारा ने माना है कि आवंटन पत्र या पट्टा विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं है। आवंटन पत्र में कोई खंड संख्या 29 नहीं है जिसका संदर्भ लिखित बयान में प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 2 में किया गया है। हालांकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अजय नारा ने आगे यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को आवंटित स्कूल साइट ने स्कूल के संचालन में प्रीनर्सरी/नर्सरी/प्राथमिक/मध्यम/माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं सीमित नहीं किया है। हालांकि, यह पहली बार दावा किया गया है कि, प्रतिवादी को लीज डीड/आवंटन पत्र के उल्लंघन के बारे में पता चला जब उन्हें 2007 (सुप्रा) के सीडब्ल्यूपी नंबर 4434 की एक प्रति प्रदान की गई। अन्य व्यापक तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया है, हालांकि यह दावा किया गया है कि 5 जुलाई, 2007 का विवादित आदेश किसी भी कानूनी दुर्बलता प्रभाव से ग्रस्त नहीं है।

(10) श्री एच.एल. टिक्कू, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री आशीष चोपड़ा, विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को आवंटित साइट का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है और ना ही 3 दिसंबर 1973 के आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों का या 8 अप्रैल 1974 के लीज डीड के नियम और शर्तें कोई उल्लंघन हुआ है (अनुलग्नक पी-3)। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान पट्टा विलेख के खंड (ii) की ओर आकर्षित किया है, जिसमें 'स्कूल' शब्द का उपयोग किसी भी अन्य प्रतिबंध के साथ इसकी मात्रा निर्धारित किए बिना किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने लीज डीड के प्रत्येक नियम और शर्तों का पालन किया है और साइट योजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 30 साल से अधिक समय पहले इमारत का निर्माण किया है। विद्वान परामर्श यह सुनिश्चित किया गया है कि अधिनियम की धारा 17(3) के प्रावधान न तो हाथ में आए मामले पर लागू नहीं होता है और 5 जुलाई, 2007 का पुनः आरंभ आदेश (अनुलग्नक पी-1) पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है। .

एपीजे एजुकेशन सोसायटी और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.)

(11) विद्वान वकील श्री एच.एल. टिक्कू ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को भूखंड के आवंटन के समय, नियमों को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया था और प्री-नर्सरी/नर्सरी/प्राथमिक/मध्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक के बीच वर्गीकरण नियमों द्वारा पहली बार किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ताओं को उनके निहित अधिकारों से वंचित किया जा सके, मुख्य रूप से इस कारण से कि याचिकाकर्ताओं को न केवल भूखंड आवंटित किया गया है, उन्होंने निर्माण भी किया है और कक्षाएं भी चला रहे हैं। स्तर. तर्क यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने 30 साल पहले अपने नुकसान के

लिए अपनी स्थिति पूरी तरह से बदल दी है और इस स्तर पर प्रतिवादी नंबर 2 के लिए यह उचित नहीं है कि साइट को केवल इस आधार पर फिर से शुरू किया जाए कि नर्सरी या नर्सरी कक्षाएँ यहाँ पहले से चल रही हैं।

(12) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अजय नारा ने यह कहते हुए एक साहसिक तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 5 जुलाई, 2007 के आदेश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, 'स्कूल' शब्द में प्री-नर्सरी/नर्सरी कक्षाएं और के.जी. शामिल नहीं होंगे।

(13) विद्वान वकील को विचार-विमर्श के बाद सुनने के बाद, हमारा विचार है कि तत्काल याचिकाएं स्वीकार की जानी चाहिए और 5 जुलाई, 2007 का आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है। 3 दिसंबर, 1973 के आवंटन पत्र की शुरुआती पंक्ति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं को स्कूल भवन के निर्माण के लिए सेक्टर 15, फरीदाबाद में 8.68 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर आवंटित करने का फैसला किया है। कुल भूमि क्षेत्र में से लगभग 3.62 एकड़ भूमि, जिसे ले-आउट प्लान में खुले टुकड़े के रूप में दिखाया गया है, उसको खेल के मैदान के लिए छोड़ा जाना था और इस पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी थी। भवन नक्शों की स्वीकृति आवश्यक थी उपनियमों के अनुसार भवन योजनाओं की मंजूरी प्रशासक, शहरी संपदा, फरीदाबाद से प्राप्त की जानी आवश्यक थी। याचिका के पैरा 3 के उप-पैरा (iv) और (v) में, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्माण शुरू करने से पहले भवन योजना को सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित कराया गया था। लिखित बयान के उत्तर के संबंधित पैरा में उत्तरदाताओं द्वारा उपर्युक्त कथनों का खंडन नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा किया गया एकमात्र दावा यह है कि याचिकाकर्ता नर्सरी और प्राइमरी स्कूल/विंग चला रहे हैं स्कूल परिसर में, जो अनुमति योग्य नहीं है। लीज डीड में पहले पैरा में कहा गया है कि 'जबकि पट्टादाता उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर स्कूल के निर्माण के लिए पट्टादाता की भूमि के भूखंड को पट्टे पर देने के लिए सहमत हो गया है। पट्टा विलेख के खंड (ii) में 'स्कूल' शब्द का उपयोग किया गया है। इसलिए खंड (ii) को पढ़ना उचित है जो इस प्रकार है:-

"(ii) इस पट्टेदार को कानून के तहत प्रशासक शहरी संपदा, फरीदाबाद से भवन योजना को मंजूरी मिलने के बाद 'स्कूल चलाने' के उद्देश्य से भूखंड पर निर्माण करने का अधिकार होगा।"

(14) आवंटन पत्र के साथ-साथ लीज डीड के नियम और शर्तें किसी भी वर्गीकरण पर विचार नहीं करती हैं, जिसे दुरुपयोगकर्ता के आरोपों के समर्थन में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लागू करने की मांग की गई है। 'स्कूल' शब्द में स्वाभाविक रूप से प्री-नर्सरी/नर्सरी/के.जी./मिडिल/सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी जैसे सभी स्तरों की कक्षाएं शामिल होंगी।

(15) हमारा यह भी मानना है कि अधिनियम की धारा 17(3) जो साइट को फिर से शुरू करने का प्रावधान करती है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। अधिनियम की धारा 17(3) इस प्रकार है:-

"(3) यदि अंतरिती उप-धारा (2) के तहत दिए गए आदेश के अनुसार दंड के साथ देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, या बिक्री की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करता है, तो संपत्ति अधिकारी नोटिस द्वारा लेखन, तीस दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए अंतरिती को बुलाओ, क्यों भूमि या भवन, या दोनों को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाए, जैसा भी मामला हो, और पूरे पैसे या उसके किसी हिस्से को जब्त करने का आदेश दिया जाए, यदि कोई हो, उसके संबंध में भुगतान किया जाना चाहिए जो किसी भी स्थिति में भूमि या भवन या दोनों की बिक्री के संबंध में देय प्रतिफल राशि, ब्याज और अन्य देय राशि की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(16) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल तभी आकर्षित होता है जब किसी बिक्री करने की शर्त का उल्लंघन होता है

ऐसे मामलों में, संपदा अधिकारी साइट को फिर से शुरू करने के लिए आवंटिती को कारण बताओ नोटिस जारी करने का हकदार होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, लीज डीड के किसी भी खंड का कोई उल्लंघन उजागर नहीं किया गया है। काल्पनिक वर्गीकरण के आधार पर, जो 1973 में दृष्टि में भी नहीं था, किसी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सका। 5 जुलाई 2007 का आदेश पूर्णतः अवैध एवं अनुचित है।

(17) उपर्युक्त कारण से, यह याचिका सफल होती है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई, 2007 (अनुलग्नक पी-1) को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत देनी होगी, जो 10,000 रुपये में निर्धारित हुई हैं।

(18) इस आदेश की फोटोकॉपी प्रत्येक जुड़े मामले की फाइल पर लगाई जाएगी।

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।